न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/13 **दायरा दिनांक : 20.01.2025**

उनवान

1. जावेद अली खान, आयु 41 वर्ष पुत्र श्री ईशब खान, जाति मुसलमान, निवासी मकान नं. 2–बी, अमन कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा राजस्थान
2. जैतून आयु 65 वर्ष पत्नी श्री ईशब खान, जाति मुसलमान, निवासी मकान नं. 2–बी, अमन कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. ईशब खान उर्फ सलीम, आयु 68 वर्ष आत्मज श्री बाबू, जाति मुसलमान, निवासी मकान नं. 2–बी, अमन कॉलोनी, विज्ञान नगर, कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री साबिर खान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सरफराज हुसैन अंसरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 209/2019 निर्णय दिनांक 04.12.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि वाके माल खान की झोपडिया, तहसील अन्ता में खाता सं. 11 में खसरा नं. 247 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नं. 336 रकबा 0.65 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 1.13 हेक्टर भूमि में से हिस्सा 2/3 भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.12.2024 से प्रतिवादी कम 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (D) सी. पी.सी. के प्रावधानों के तहत विधि विरूद्ध होने से वाद अस्वीकार कर खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय द्वारा वादीगण का धारा 88–89–188 आर०टी०ए० बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अस्वीकार कर खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि वाद पुश्तैनी भूमि में खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है तथा पुश्तेनी भूमि में वादीगण अपीलान्टान ने अपने पिता के हिस्से में से हिस्सा की मांग कर खातेदारी घोषणा व खसरा नं. 247, 336 की भूमि में अपने 2/3 हिस्से की भूमि को रहन, बेचान न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने सोमोटो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम खातेदार के उत्तराधिकारी को दावा नहीं लाना मानकर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादी नं० 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. के इनग्रीडियंस अंकित नहीं किये ओर प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. की परिधि में नहीं आता है इस कारण प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है। इसके बावजूद भी दावा वादीगण खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी नं० 1 द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वादीगण का दावा लाना नहीं माना है और न वाद में मुस्लिम विधि के अनुसार कोई सहायता चाही है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आपत्ति व आधार के वादीगण का दावा खारिज करने में त्रुटि की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत खातेदार की स्वअर्जित सम्पति हो तो उसके वारिसान को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें खातेदार के पुत्रों का पिता के हिस्से की भूमि में समान अधिकार होता है इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तोर पर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि दावा खारिज करने के पश्चात् प्रतिवादी नं० 1 उक्त पुश्तेनी भूमि को रहन, बेचान व अन्तरण कर देगा जिससे वादीगण पुश्तेनी भूमि को प्राप्त करने के अधिकार से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगें तथा पक्षकारान के मध्य मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को दावा खारिज नहीं कर सुनवायी करना चाहिये था। किन्तु ऐसा न कर दावा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी रेस्पो० द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 सी.पी.सी. में उल्लेखित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसके संबंध में उक्त वाद को खारिज करने के आदेश दिनांक 04.12.2024 में अधीनस्थ न्यायालय ने उल्लेख किया है तथा अंकित किया है कि उक्त सम्पति के संबंध में एक अन्य वाद अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार है उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये व यथास्थिति की जानकारी लिये बिना मात्र प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकन सही मान कर निर्णय करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

04.12.2024 दावा की हद तक निरस्त किया जावे तथा दावे में सुनवायी किये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि रेस्पो० द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कानून की मंशा के विरूद्ध कथन किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट का वाद गलत रूप से कानून की मंशा के विपरीत जाकर खारिज किया गया था जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय मे अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय को वादी एवम प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण करना चाहिये था प्रथम दृष्टया बिना किसी साक्ष्य के मात्र प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर प्रथम स्टेज पर ही वादी का वाद खारिज किया गया है जो कि हर प्रकार से आदेश जेर अपील काबिल निरस्तीय है तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी ऐसे आदेशो को निरस्त कर वाद का दावा जवाब दावा व साक्ष्य एवम मेरिट के आधार पर निस्तारण करने का आदेश पारित किया हुआ है इस कारण न्याय हित के वादी अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर वाद को मेरिटस के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश अधिनस्थ न्यायालय को दिया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे किसी प्रकार भी मेन्टेनेबल नहीं था जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से स्वीकार किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त अपील अपीलाण्ट ने अन्ता एस. डी. एम. के आदेश दिनाक 06.04. 2024 के विरुद्ध पेश की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुरूप है जिसमे किसी तरह की कानूनी त्रुटि नहीं हुयी है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट दोनो ही मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, दोनों के ऊपर मुस्लिम कानून लागू होता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश किया गया है वह मुस्लिम कानून के तहत किया गया है। उक्त आराजी भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम पर दर्ज है और वर्तमान मे भी उसी के नाम चली आ रही है और उक्त जमीन रेस्पोडेन्ट नं० 1 के नाम ॲलोट हुयी थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के माता की कृषि आराजी भी रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में कर दी गयी थी इस प्रकार संपूर्ण आराजी पर रेस्टोडेन्ट नं० 1 का मालिकाना हक व कब्जा चला आ रहा है। रेस्पो नं0 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे चल रहे वाद मे आर्डर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

7 रूल 11 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमे वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओ की बहस के पश्चात आर्डर 7 रूल 11 (डी) सी. पी. सी. के अनुसार यदि कोई वाद विधि द्वारा वर्जित है तो उसे किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है, प्रस्तुत वाद में पक्षकार मुस्लिम धर्म से सन्बन्ध रखते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम काश्तकारी के जीवनकाल में कोई भी व्यक्ति उसके होने वाले उत्तराधिकारी के रूप मे दावा नही कर सकता। अतः उक्त वाद पत्र मुस्लिम स्वंय विधि द्वारा वर्जित है, हस्तगत वाद मे मुस्लिम स्वंय विधि से बाधित होने से चलने योग्य नही है इस प्रकार आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत उक्त वाद पत्र को खारिज कर दिया गया था जो सही व विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि वाके माल खान की झोपडिया, तहसील अंता में खाता संख्या 11 में खसरा नं. 247 रकबा 0.48 हेक्टर, खसरा नं. 336 रकबा .0.65 हेक्टर किता 2 रकबा 1.13 हेक्टर भूमि में से हिस्सा 2/3 भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज है, जिसे वाद में विवादित भूमि संबोधित किया गया है। वादी कम 1 प्रतिवादी कम 1 का पुत्र है तथा वादिया कम 2 प्रतिवादी कम 1 की पत्नी है। विवादित आराजी पुश्तैनी है जो प्रतिवादी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 का जन्मतः हक अधिकार नियत है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजी में से हिस्सा 2/3 भूमि प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में से वादीगण का हिस्सा 2/9– 2/9 भूमि का बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाये तथा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाये कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार की दखलांदाजी नहीं करे तथा विवादित भूमि को प्रतिवादीगण अन्यत्र रहन, बेचान या हस्तांतरित नहीं करे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमायी जाये।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 द्वारा जर्ये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में सजरा के बताये अनुसार वारिसानों के अलावा यासमीन, मेहजबीन, कुलसुम, नसीमाबाई जीवित वारिसान है। भूमि का पैतृक होना स्वीकार है तथा जायज पुत्र को सम्पत्ति से बेदखल किया जा चुका है जिसकी

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

कार्यवाही एस.डी.एम. न्यायालय कोटा में जैरकार है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 की ओर से जर्ये अधिवक्ता दिनांक 27.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी कम 1/प्रार्थी द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पूर्व में पेश एक वाद वर्तमान में न्यायालय में जैरकार होने से उक्त वाद को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त नही है। वाद अवधि बाधित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अंता द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.12.2024 से विवादित आराजी के संबंध में प्रार्थीगण/प्रतिवादी कम 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया जिससे अप्रसन्न होकर वादीगण अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अपीलांट एवं रेस्पोडेंट दोनों पक्ष मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं। रेस्पोडेंट कम 1 अपीलांट कम 1 का पिता व अपीलांट कम 2 का पति है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, पुत्र या पत्नी को पिता/पति के जीवित रहते उसकी सम्पत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इस आधार पर वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा विधि विरूद्ध है। आर्डर 7, नियम 11 (डी) के अनुसार जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांट का दावा खारिज किया है। वादीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बाधित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः अपील के इस सार पर हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा